



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राकेश सिंह फकलियाल /Dr.Rakesh Singh Phakaliyal

27/2023-24/2156/389

सहायक प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

दिनांक : 06/11/2023

Assistant Professor & Public Information Officer

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 09.10.2023 (कार्यालय में दिनांक 11.10.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
	On November 17, 2022, your university was published an Employment Notice for Non-Teaching And Non-Teaching (Academic) Non-Vacational Posts vide Adv No. MGAHV/15/2022.	
1	With regard to the post code No. 9 (Stenographer) How many applications have you received? &	36 Applications
2	What is the approximate date of the exam, and when will it be held?	In Process

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(राकेश सिंह फकलियाल)